

हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 के अर्तगत, हरियाणा के भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भूतपूर्व सैनिकों, (CAPF), HSISF व HAP 819 के बर्खास्त कर्मचारियों (महिला एवं पुरुष), अस्थाई विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के चयन हेतु आवेदन फार्म ।

नाम.....पिता का नाम.....

जाति/श्रेणी.....

स्थायी पता.....

अस्थाई पता.....

थाना.....जिला.....राज्य.....

जन्म तिथि.....

सेना/अर्धसैनिक बल में भर्ती तिथि.....सैनिक यूनिट.....

पद/सैन्य संख्या.....सेना निवृत्त तिथि.....

Total Service.....

चिकित्सा.....चरित्र.....मोबाईल नम्बर.....

शैक्षणिक योग्यता.....आधार कार्ड नं.....

Age as on date:.....

घोषणा :-

मैं विशेष पुलिस अधिकारियों के चयन के सम्बन्ध में जैसा कि हरियाणा पुलिस अधिनियम- 2007 में उल्लेखित है, मैं सरकार द्वारा जारी की गई सभी शर्तों व नियमों को स्वीकार करता हूँ तथा पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई नियमों व शर्तों का पालन करता रहूँगा ।

सलंगन कागजात

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान